

डॉ० अनुजा कुमारी

(इतिहास विभाग)

एस० एन० एस० आर० के० एस० कालम

सहरसा

V.V.9

119) प्रश्न: → 1660 की पुनः स्थापना के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालें।

उत्तर: → 1660 ई० का पुनः स्थापना का इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कि पूरी पुनः स्थापना के फलस्वरूप ही इंग्लैंड के लॉर्डों के क्लि और हिमाग में महान फ्रांटिकारी परिवर्तन की लहर दौड़ गयी। जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास का काया पलट ही गया।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लैंड का शासक चार्ल्स द्वितीय ने समग्र का नारी को अच्छी तरह पहचान लिया। इसलिए वे अपने पिता का चरण चिन्हां का अनुसरण नहीं किया। क्या कि इस बात को वह भली-भाँति से जानता था कि इंग्लैंड में संवैधान के इच्छानुसार शासन करना उचित नहीं होता है। उसका कहना है था कि कानून और सिद्धान्त में राजा सबसे ऊपर है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राजा का स्थान पार्लियामेंट में ले लिया अब वह देश का वास्तविक ब्रह्म धन नहीं था बल्कि सर्वोच्च था। इतना ही नहीं अब इंग्लैंड के सभी राजनैतिक उल्हाने को सुल्हाने का अधिकार पार्लियामेंट को ही था। दूसरी बात यह भी है कि इतिहास इसका साक्षी है। सदा साक्षी रहेगा। 1660 ई० की पुनः स्थापना के बाद किसी भी राजा ने पार्लियामेंट के विचारों का उल्लंघन नहीं किया। जैम्स द्वितीय ने हिम्मत कर के पार्लियामेंट की बाती का

उल्लंघन किया तो इसकी कड़ी सजा के रूप में उन्हें राजगद्दी से उखाड़ी गई। अतः इस बात का ध्यान में रखा है। इसलिए 1660 ई० की पुनः स्थापना को पार्लियामेंट की क्रांति भी कहा जा सकता है।

1660 ई० की पुनः स्थापना में राजा का तो पुनः स्थापन हुआ ही लेकिन पार्लियामेंट का पुनः स्थापन नहीं हुआ साथ ही 1660 ई० के बाद भी इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि राजा पुनः स्थापना के बाद अधिकारों के क्षेत्र में अपने आप को पंगु महशुस करने लगा। ऐसी स्थिति में 1660 ई० की पुनः स्थापना को एक समझौता भी कह सकते हैं। क्योंकि शब्द का सही अर्थ में सही लगाने में प्रयास 1660 ई० में ही किया गया। प्रयास तो वैसे इसके पहले भी किया गया। लेकिन पहले का सभी प्रयास निरर्थक साबित हुआ। 1660 ई० के पुनः स्थापना से हमें यह बात चले जाता है कि इंग्लैंड में कौन बड़ा है। राजा या प्रजा ऐसी स्थिति में हम बाहर से माकते थे कि हमें ऐसा लगता था कि वहाँ राजा बड़ा है। लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर हम अन्दर जा कर देखते थे कि पार्लियामेंट बड़ा लगता था क्योंकि कानून बनाने में राजा का प्रत्यक्ष प्रयत्न रूप से कोई अधिकार नहीं था।

1660 ई० के पुनः स्थापना के फलस्वरूप इंग्लैंड के संवैधानिक का विकास हुआ और वैधानिक राजतंत्र की परम्परा

चल पड़ी। क्योंकि पुनः स्थापना से साबित कर सकते हैं कि इंग्लैंड के गणतंत्र पर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र की छाप पड़ी है। दूसरी बात यह भी है कि 1660 ई० की पुनः स्थापना एक ऐसी घटना मानी जाती है। जिसका एक ही साथ दो परिणाम निकाला पहलें तो इसमें राजा और सभी पुरानी स्थापना का पुनः स्थापन हुआ इसके साथ ही साथ चर्च का पूर्ण स्थापन हो गया। इसलिए तो इसका ही पुनः स्थापना के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं इसलिए तो चार्ल्स द्वितीय राष्ट्रीय चर्च के रूप में दोनों दलों को सम्मिलित कर दिया। बाद में चलकर उन्होंने कनवेंशन पार्लियामेंट जैसे संविधान को पैरित किया। वैसे यह बात अलग है कि इसके बाद करवाने के बावजूद भी अन्त तक सफलता नहीं मिली।

1660 ई० पुनः स्थापना का दूसरा महत्व यह भी है कि बहुत सारे इतिहासकार आधुनिक संसदीय का सहकारी बना। श्री गणेश यही मानते हैं। वास्तव में मंत्री मंडल की प्रथा अलगत की परम्परा और पार्लियामेंट के प्रति मंत्री मंडल में मंत्रियों की जबाबदेही की शुरुआत इसी समय से हुई थी। लेकिन यह भी सही है कि जिन-जिन चीजों की कमी 1660 ई० में पूरी पुनः स्थापना के बाद हुई थी फूली उसकी पूरती 1688 ई० की गौरवपूर्ण क्रान्ति ने लोग पार्लियामेंट के अधिकार का पुरा

किंग को कि अब शक्ति राजा के हाथ से निकल कर पार्लियामेंट के हाथ में चली आनी थी साथ ही साथ अब बढली हुई परिस्थिति में वहाँ हाऊस ऑफ कॉमन् की शक्ति बढ़ गई थी। इसी महान परिवर्तन को कैथकर्स लोग पुनः स्थापना का बदला मानते हैं। बदला की ज़ेनी में शरत है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पुनः स्थापना क्रांति थी। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने पुनः स्थापना को क्रांति कहा है। उसका कहना है कि Restoration is undoubtedly a revolution वास्तव में यह कथन सत्यता के करीब है। क्या कि सधारण तथा लोग पुनः स्थापना को क्रांति कहते हैं। क्रांति का भी अर्थ परिवर्तन होता है। लेकिन यही पुनः स्थापना का मतलब पुरानी प्रथाओं की पुनरावृत्ति है। ऐसी स्थिति में 1660 ई. की पुनः स्थापना को हम क्रांति नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पुनः स्थापना को हम क्रांति नहीं कह सकते हैं के फलस्वरूप इंग्लैंड में कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं हुआ था। राजा की पद की स्थापना अवश्य हुई। लेकिन उसके अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी बात यह भी है कि वहाँ पार्लियामेंट का कोई विरोध करने वाला नहीं था। इसीलिए तो पार्लियामेंट की वैधानिक सत्ता पूर्णरूपेण अचल रह गई। अतः हम कह सकते हैं कि पुनः स्थापना पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ी के रूप में एक क्रांति थी। क्योंकि बाहर से इसमें कोई विरोध नहीं हुआ था बल्कि राजा

के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था।
वैसे बाहरी तौर पर हम यदि देखते हैं तो हमें
ऐसा लगता है कि इसमें न तो राजा के
अधिकारों को सीमित किया और न तो पार्लियामेंट
लेकिन वास्तविकता यह है कि राजा के नये
सीरे का पुनः तहाँ स्थापित किया गया।

इसलिए तो इसे पुनः स्थापना कहा जाता है।

इस प्रकार निष्कर्ष: हम कह
सकते हैं कि 1660 ई० की पुनः स्थापना का इंग्लैंड
के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान
सुरक्षित है। जब हम इसके स्वरूप एवं महत्व
पर प्रकाश डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि
इसके बाद इंग्लैंड के लोगों के दिल और
दिमाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया जिसके
फलस्वरूप इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास के
रूप रेश्वा तैंगार हुई। या हम ऐसा भी कह
सकते हैं कि 1660 ई० की पुनः स्थापना के परिणाम
स्वरूप ही इंग्लैंड का संवैधानिक संवैधान का
विकास हुआ इसीलिए तो इसका बड़ा ही महत्व
है।